आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–63 / 2023	
11.03.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह उपस्थित।	
	आयोग में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह ने आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया है और आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सदस्य सचिव, खाद्य आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की प्रति इस आशय के साथ उपलब्ध कराया गया था कि वे उस पर अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे, लेकिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने इस संदर्भ में अपना प्रतिवेदन पेश नहीं किया।	
	आयोग इस आशय का अंतिम अवसर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को दे रहा है कि यदि सदस्य सचिव, खाद्य आयोग द्वारा पेश किये गये रिपोर्ट पर अपना बिन्दुवार पक्ष नहीं रखा, तो उनके विरूद्ध आयोग विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा के साथ–साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.03.2024 को निर्धारित की जाती है।	
	आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.03.2024 को रखें।	
	(शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
	E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx163	